कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/2055 /2021 बिलासपुर, दिनांक 01, जून 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/2010/2021 दिनांक 25 मई 2021 एवं आदेश क्र0 /रीडर–जि0दण्डा0/2036/2021 दिनांक 29 मई 2021 के माध्यम से बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए है। वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/2010/2021 दिनांक 25 मई 2021 एवं आदेश क्र0/रीडर–जि0दण्डा0/2036/2021 दिनांक 29 मई 2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1– निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी–

1.1 सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर/ मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़–भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

1.2 स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बन्द रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

1.3 सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

1.4 चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।

2– कण्डिका 1 अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी/बाजार, अनाज मण्डी, शो–रूम, क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

3– होटल, रेस्टोरेण्ट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाईनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डाइनिंग हॉल/रूम में

01/06/21

उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेण्ट्स ऑनलाईन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब–रेस्टोरेण्ट्स, होटल एवं रेस्टोरेण्ट्स से डिलिवरी का समय पूर्ववत 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलिवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन–हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेण्ट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

4– वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड 19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्र0 40–3/2020/डी0एम0/1 (ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल में **किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।** जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

5– **बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों की नियमित उपस्थिति तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति–आवश्यक प्रयोजन हेतु खोले जाएंगे, किन्तु सामान्यतः आम जनता हेतु बन्द रहेंगे।** उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे । टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुड़े कार्यालय के संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी।

6– सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

7– पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगी।

01/06/21

Scanned with CamScanner

8— शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

9— सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण /विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

10— प्रतिदिन सायं 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान पेट्रोल पम्प, मेडिकल दुकानें, होटल/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

11— **प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पी0डी0एस0 एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी की अनुमति होगी।**

12— आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

13— आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति–आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।

14— मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/मॉल/हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान/मॉल/हॉल सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

15— यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य

01/06/21

Scanned with CamScanner

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

16— राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51—60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

01/06/21.

(डॉ0 सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/2055-ए/2021 बिलासपुर, दिनांक 01 जून 2021

प्रतिलिपि—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बिलासपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. लीड बैंक अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15. सर्व थाना प्रभारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. संबंधित सर्व .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. .... समस्त आम जनता, जिला बिलासपुर द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

01/06/21

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

CO * BILAS

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/607/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद, दिनांक 01/06/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/570/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद दिनांक 25.05.2021 के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 15.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक/570/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद दिनांक 25.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. **निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–**
   - **i. सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़–भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।**
   - **ii. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।**
   - **iii. सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।**
   - **iv. चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।**

02. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो–रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से **शाम 06:00 बजे तक** खोले जा सकेंगे।

03. होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब–रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन–हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) ★ सत्यमेव जयते

1/6/2021

04. वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हॉल में **किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे**, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

05. महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।

06. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

07. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

08. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

09. सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. **प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा,** जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

11. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

12. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

1/6/2021

13. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

14. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/मॉल/हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।

15. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है :– 07723–222100, 07723–222101, 82693–79405

16. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

17. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

18. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

11/6/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 607 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक 01 / 06 / 2021

प्रतिलिपि :—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमान्डर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। महासमुन्द जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
10. जिला खाद्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।
15. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. समस्त कार्यालय प्रमुख, ... जिला महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. .... समस्त आम जनता, जिला महासमुन्द द्वारा सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1/6/2021

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)